



कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 1081 / स्थापना / 2 / 2026

इन्दौर, दिनांक: 28.10.2026

आदेश

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :-

क.	अधिकारी का नाम	प्रभार का विवरण
1	2	3
1	श्रीमती रोशनी पाटीदार, संयुक्त कलेक्टर	वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी : भिचौली हप्सी 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील भिचौलीहप्सी के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील भिचौली हप्सी। विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। क्षेत्रान्तर्गत नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 का क्रियावन्धन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम-2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी 2- दाण्डिक कार्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार थाना-संयोगितागंज, पलासिया, छोटी ग्वालटोली, आजादनगर, तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे। म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त

		शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड संबंधी कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3- विविध अन्य प्रभार:- पी0सी.एण्ड पी0एन0डी0टी.एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण। शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र। विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार। जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
2	श्री विनोद राठौर, डिप्टी कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :-डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील डॉ.अम्बेडकर नगर विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। म.प्र.स्थापन नियन्त्रण अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। क्षेत्रान्तर्गत नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 का क्रियावन्धन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम-2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी 2- दाण्डिक कार्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार थाना- महू, किशनगंज, सिमरोल, मानपुर, बडगोंदा थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के

		क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे। म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड संबंधी कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3- विविध अन्य प्रभार :- भू-अर्जन अधिकारी (रक्षा सम्पदा) अनुभाग महु पी0सी.एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार जल उपभोक्ता,राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र । सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण। प्रशासक स्वामी विवेकानन्द तकनीकी संस्थान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
3	श्री अजय भूषण शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर, जिला इंदौर	1. प्रभारी परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण 2. सत्कार शाखा 3. एसिड अनुमति 4. प्रेस रजिस्ट्रीकरण 5. आपदा प्रबंधन एवं राहत शाखा 6. अनुज्ञप्ति शाखा 7. पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना 8. नागरिक सुरक्षा संबंधी कार्य कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
4	श्री राकेश परमार, संयुक्त कलेक्टर, जिला इन्दौर	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


 (शिवम वर्मा)
 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
 जिला इन्दौर

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
3. पुलिस आयुक्त, नगरीय इन्दौर।
4. पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जिला इन्दौर।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम इन्दौर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर।
7. पुलिस उपायुक्त, जोन 1/2/3/4 नगरीय इन्दौर।
8. समस्त अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर की और सूचनार्थ।
9. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सूचनार्थ।
10. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग इन्दौर।
11. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर।
12. जिला राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान केन्द्र, जिला इन्दौर।
13. प्रभारी अधिकारी, सत्कार शाखा जिला इन्दौर।
14. जिला प्रबंधक, ई-गवर्नेंस कलेक्टोरेट इन्दौर।
15. जिला प्रबंधक, लोक सेवा गारंटी, कलेक्टोरेट इन्दौर।
16. सम्बन्धित श्री -----को पालनार्थ।
17. समस्त तहसीलदार तहसील ----- की और सूचनार्थ।
18. निज सहायक, कलेक्टर जिला इन्दौर।
19. कार्यालय अधीक्षक, कलेक्टोरेट जिला इन्दौर।
20. सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य) कलेक्टोरेट जिला इन्दौर।
21. गार्ड फाईल।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला इन्दौर